

# Library

## School of Planning and Architecture, Bhopal

S.No.1 मार्च, 2022

दैनिक भास्कर

11/04/2022

पेज न. (भोपाल फ्रंट पेज)

### अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी... रोड पर गाड़ियां कम करने कार फ्री डेज घोषित कर सकेगी सरकार

नगरीय आवास एवं विकास विभाग इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजेगा

इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टर | भोपाल

सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम करने के लिए सरकार को फ्यूल सरचार्ज लगाने, कंजेशन प्राइजिंग वसूलने और कार फ्री डेज घोषित करने का अधिकार मिलेगा। प्रदेश सरकार की अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तैयार हो गई है और नगरीय आवास एवं विकास विभाग इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस पॉलिसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। भोपाल और इंदौर जैसे मिलियन प्लस शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 60 फीसदी तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। अभी यह वमुशिकल 5 प्रतिशत है।

पिछले एक दशक में प्रदेश में वाहनों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई है। अभी प्रदेश में 13.2 मिलियन (1.32 करोड़) वाहन रजिस्टर्ड हैं, जबकि 10 साल पहले यह संख्या 5.05 मिलियन (करीब 50 लाख) थी।

#### 2017 में महाराष्ट्र लागू कर चुका है पॉलिसी

पांच साल पहले 2017 में महाराष्ट्र अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू कर चुका है। इस पॉलिसी में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए 5 से 10 साल के टारगेट तय किए गए हैं।

आसपास के ग्रामीण इलाकों तक मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट

पॉलिसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक चलाने का प्रावधान करने की बात कही गई है। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए परमिट खास रूट के लिए मिलता है, लेकिन पॉलिसी में इसे बदल कर पूरे शहर के लिए परमिट देने की बात कही गई है। अर्बन पार्किंग स्पेस मैनेजमेंट एक्ट बनाने की बात भी पॉलिसी में कही गई है।

इसके कारण सड़कों पर जाम की समस्या बढ़ रही है और शहरों में एयर क्वालिटी भी खराब हो रही है। इन परिस्थितियों में प्रदेश सरकार ने पिछले साल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया था। स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की कंसल्टेंट मीसमी हजेला के साथ एसपीए के प्रो. पॉलोज कुरिया कोज और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दिल्ली ने यह पॉलिसी तैयार कर यूएडीडी को भेज दी है। पॉलिसी का ड्राफ्ट दैनिक भास्कर के पास उपलब्ध है।